उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
(अनुभाग–7)
संख्या–२५/पॉच–7–2017–एम0एस0–55/2006
लखनऊः दिनांकः 06 जनवरी, 2017

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, बी0सी0जी0 तकनीशियन सेवा नियमावली, 1994 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश बी0सी0जी0 तकनीशियन सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश बी0सी0जी0 तकनीशियन सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश बी0सी0जी0 तकनीशियन सेवा नियमावली, 1994, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया हैं, में नियम 3 में, विद्यमान खण्ड (ग) के पश्चात, निम्नलिखित नया खण्ड (ग–1) जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :–
''(ग–1)'' आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है,''

नियम 5 का प्रतिस्थापन

3. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

	स्तम्भ 1 विद्यमान नियम		स्तम्भ 2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
भर्ती का स्रोत	5. बी0सी0जी0 टीम लीडर–मौलिक रूप से नियुक्त बी0सी0जी0 टेक्नीशियन स्रोत में से पदोन्नति द्वारा।	भर्ती का स्रोत	5. सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :– **(एक) बी0सी0जी0 तकनीशियन**–आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **(दो) बी0सी0जी0 टीम लीडर**–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे बी0सी0जी0 तकनीशियनो में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

नियम 8 का प्रतिस्थापन

4. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

	स्तम्भ 1 विद्यमान नियम		स्तम्भ 2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
शैक्षिक अर्हताएं	8. बी0सी0जी0 तकनीशियन के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 से विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा	शैक्षिक अर्हताएं	8. सेवा में बी0सी0जी0 तकनीशियन के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को माध्यामिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ इण्टरमीडियट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना

	उत्तीर्ण होना आवश्यक है।	आवश्यक है एवं स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उत्तर प्रदेश अथवा स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रदत्त ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम मैनेजमेन्ट में दो वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।

नियम 10 का प्रतिस्थापन

5. उक्त नियमावली, में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम		स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
आयु	10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अथ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष के, जिसमें नियम 14 के अधीन रिक्तियॉ अधिसूचित या विज्ञापित की जॉय, प्रथम दिवस को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बत्तीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	आयु	10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और चालीस वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हों : परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

नियम 14 का प्रतिस्थापन

6. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम		स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
रिक्तियों का अवधारण	14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायेंगी। नियुक्ति प्राधिकारी उन व्यक्तियों से सीधे भी आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकता है जिनके नाम सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो। इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी सूचना पट्ट पर सूचना चिपकाने के साथ ही साथ एक	**रिक्तियों का अवधारण**	14. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ–साथ नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाले रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्लियों को उन्हें सूचित किया जायेगा।

स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करेगा। ऐसे सभी आवेदन पत्र चयन समिति के समक्ष रखे जायेगें।

नियम 15 का प्रतिस्थापन

7. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम		स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
सीधी भर्ती की प्रकिया	15.(1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होगें : (एक) नियुक्ति प्राधिकारी .... अध्यक्ष (दो) संयुक्त निदेशक (क्षय रोग)...........सदस्य (तीन) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी जो संयुक्त निदेशक के स्तर से नीचे का न हो। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई अधिकारी................................सदस्य (चार) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय का कोई अधिकारी जो संयुक्त निदेशक के स्तर से नीचे का न हो.... ....सदस्य (पॉच) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट पिछड़े वर्ग का कोई अधिकारी जो संयुक्त निदेशक के स्तर से नीचे का न हो...सदस्य (2) चयन समिति नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने पात्र अभ्यर्थियों को जितने वह उचित समझे, साक्षात्कार के लिये बुलायेगी। (3) चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता–क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो चयन समिति उनके नाम पद के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम प्रवीणता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक "किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनाधिक" होगी। सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।	**सीधी भर्ती की प्रकिया**	**15.** सेवा में बी0सी0जी0 तकनीशियन पद पर सीधी भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रकिया) नियमावली, 2015 के अनुसार की जायेगी।

नियम 16 का संशोधन

8. उक्त नियमावली में, नियम 16 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप–नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ 1 विद्यमान उप–नियम		स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम	
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया	**16. (1)** बी0सी0जी0 टीम लीडर के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होगे :– (एक) नियुक्ति प्राधिकारी.......................अध्यक्ष (दो) संयुक्त निदेशक (क्षय रोग)..........सदस्य (तीन) अपर निदेशक (चिकित्सकीय देखरेख) ....सदस्य **(चार)** संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)........सदस्य (2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियॉ उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अनुसार तैयार करेगा और उसे चरित्र पंजियो और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाये, चयन समिति के समक्ष रखेगा। (3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर चिचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। (4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।	पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	**16.(1)** बी0सी0जी0 टीम लीडर के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में दिये गये मानण्ड के आधार पर समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी। **टिप्पणी–** चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नामनिर्देशन, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

नियम 18 का प्रतिस्थापन

9. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 18 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम		स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
परिवीक्षा	**18. (1)** सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।	**परिवीक्षा**	**18. (1)** सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को वी0सी0जी0 तकनीक और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित ऐसा प्रशिक्षण लेना होगा जैसा सरकार समय–समय पर इस सम्बन्ध मे आदेश द्वारा विहित करें।	(2) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को बी0सीजी0 तकनीक और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित ऐसा प्रशिक्षण लेना होगा जैसा सरकार समय–समय पर इस सम्बन्ध में आदेश द्वारा विहित करें।
(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐस कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगे अलग–अलग मामलों मे परिवीक्षा की अवधि को बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनाक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढाई जाय: परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ायी जायेगी।	(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या सन्तोष प्रदान करने मे अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकारी न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
(4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।	(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा।
(5) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाये किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा।	

नियम 21 का संशोधन

10. उक्त नियमावली में, नियम 21 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप–नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप–नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम

भाग– सात– वेतन इत्यादि

वेतनमान 21. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं।		(2) उत्तर प्रदेश बी0सी0जी0 तकनीशियन सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये है :–			
पदों का नाम	वेतनमान	पद का नाम	वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश वेतन बैण्ड (रू0)	तत्सदृश ग्रेड वेतन (रू0)
(एक) बी0सी0जी0 तकनीशयन	975–15–1150–द0रो0–30–1660 रूपये।	(1)बी0सी0जी0 तकनीशियन	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2400/–
(2)बी0सी0जी0 टीम लीडर	1350–30–1440–40–1800 –द0रो0–50–2200 रूपये।	(2)बी0सी0जी0 टीम लीड़र	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4200/–

नियम 23 का निकाला जाना 11. उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 23 निकाल दिया जायेगा।

भवदीय,

(अरूण कुमार सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 25 (1)/पांच–7–2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

2– संयुक्त निदेशक(क्षय), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

3– निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त को राजकीय गजट में प्रकाशित कराकर 100 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. /Five -7 – 2017-M.S.-55/2006, dated JANUARY, 2017

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
MEDICAL, HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT
(SECTION-7)

NOTIFICATION
Miscellaneous

No. २४ /Five -7 – 2017-M.S.-55/2006
Dated Lucknow: 06 JANUARY, 2017

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh B.C.G. Technicians Service Rules, 1994:

THE UTTAR PRADESH B.C.G. TECHNICIANS SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES, 2016

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh B.C.G. Technicians Service (First Amendment) Rules, 2016.
(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 3 2. In the Uttar Pradesh B.C.G. Technicians Service Rules, 1994, hereinafter referred to as the said rules, in rule 3, after existing clause (c), the following new clause (C-1) shall be inserted, namely:-

"(C-1) "Commission" means the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission;"

Substitution of rule 5 3. In the said rules, for existing rule 5 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

	COLUMN 1 *Existing rule*		COLUMN 2 *Rule as hereby substituted*
Source of recruitment	5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following Sources: (i) B.C.G. Technician -By direct recruitment. (ii) B.C.G. Team Leader- By promotion from amongst substantively appointed B.C.G. Technicians.	**Source of recruitment**	5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following Sources: (i)B.C.G. Technician-By direct recruitment through the Commission. (ii)B.C.G. Team Leader-By promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed B.C.G. Technicians who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

Substitution of rule 8 4. In the said rules, for existing rule 8 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

	COLUMN 1 *Existing rule*		COLUMN 2 *Rule as hereby substituted*
Academic qualifications	8. A candidate for direct recruitment to the post of B.G.G. Technician must have passed Intermediate examination in Science from the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent thereto.	Academic qualifications	8. A candidate for direct recruitment to the post of B.G.G. Technician in the service must have passed the Intermediate Examination with Science of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an Examination recognised by the Government as equivalent thereto, and must have obtained two years Diploma certificate in Tuberculosis Programme Management awarded by the State Medical Faculty, Uttar Pradesh or Institutions recognised by the State Medical Faculty, Uttar Pradesh.

Substitution of rule 10 — 5. In the said rules, for existing rule 10 set out in column 1 below, the rule as set out in the column 2 shall be substituted, namely :-

	COLUMN 1 *Existing rule*		COLUMN 2 *Rule as hereby substituted*
Age	10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of eighteen years and must not have attained the age of more than thirty two years on the first day of the year of recruitment in which vacancies are notified or advertised under rule 14: Provided that the upper age limit in the case of candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.	Age	10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of twenty one years and must not have attained the age of more than forty on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Substitution of rule 14 — 6. In the said rules, for existing rule 14 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

	COLUMN 1 *Existing rule*		COLUMN 2 *Rule as hereby substituted*
Determination of vacancies	14. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The vacancies to be filled by direct recruitment shall be notified to the Employment Exchange. The appointing authority may also invite applications directly from the person who have their names	Determination of vacancies	14. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The vacancies to be filled through the Commission shall be intimated to them.

registered in the Employment Exchange. For this purpose, the appointing authority shall issue an advertisement in a local daily newspaper besides pasting the notice on the notice board. All such applications, shall be placed before the Selection Committee.

Substitution of rule 15 7. In the said rules, for existing rule 15 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1 *Existing rule*		COLUMN 2 *Rule as hereby substituted*	
Procedure for direct recruitment	15. (1) For the purpose of direct recruitment , there shall be constituted a Selection Committee comprising:- (i) Appointing authority...............Chairman (ii) Joint Director(Tuberculosis)..........Member (iii) An officer not below the rank of Joint Director belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, nominated by the appointing authority, if the appointing authority does not belong to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, If the appointing authority belongs to scheduled caste or scheduled tribe, an officer other than belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, nominated by the appointing authority.............. Member (iv) An officer not below the rank of Joint Director belonging to minority community, nominated by the appointing authority................................. Member (v) An officer not below the rank of Joint Director belonging to backward class, nominated by the appointing authority................,................ Member. (2) The Selection Committee shall having regard to the need for securing due representation of the candidate belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of eligible candidates as it considers proper. (3) The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by marks obtained by them in interview. If two or more candidates obtain equal marks, the Selection Committee shall arrange their names in order of their proficiency on the basis of their general suitability for the post. The number of names	**Procedure for direct recruitment**	15. Direct recruitment to the post of B.C.G. Technician in the service shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Direct Recruitment to Group 'C' Posts (Mode and Procedure) Rules, 2015, as amended from time to time.

in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five percent) than the number of the vacancies. The list shall be forwarded to the appointing authority.

Amendment of rule 16 8. In the said rules, in rule 16, for exiting sub-rule (1) set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1 *Existing sub rule*	COLUMN 2 *Sub rule as hereby substituted*
(1)Recruitment by promotion to the post of B.C.G. Team Leader shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through a Selection Committee comprising:- (i) Appointing Authority.............. Chairman (ii)Joint Director(Tuberculosis) ....Member (iii)Additional Director (Medical Care) ......Member (iv)Joint Director (Head quarter) ....Member	(1)Recruitment by promotion to the post of B.C.G. Team Leader shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts Outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time. **NOTE-** Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time.

Substitution of rule 18 9. In the said rules, for existing rule 18 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1 *Existing rule*	COLUMN 2 *Rule as hereby substituted*
Probation 18.(1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years. (2) The probationer will have to undergo such training regarding B.C.G technique and supervision as the Government may by order prescribe in this regard from time to time. (3) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted: Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation	**Probation** 18.(1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013, as amended from time to time. (2) The probationer will have to undergo such training regarding B.C.G technique and supervision as the Government may by order prescribe in this regard from time to time. (3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he

shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(4) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post his services may be dispended with.

(5) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (4) shall not be entitled to any compensation.

may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.

Amendment rule 21 **10.** In the said rules, in rule 21, for existing sub-rule(2) set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1
Exiting sub-rule

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are given as follows :-

Name of Posts	Scale of pay
(i) **B.C.G. Technician**	**Rs. 975-15-1150-EB-30-1660**
(ii) **B.C.G. Team Leader**	**Rs. 1350-30-1440-40-1800-EB-50-2200**

COLUMN 2
Sub-rule as hereby substituted

(2) The scales of pay at the time of the commencement of the Uttar Pradesh B.C.G. Technicians Service(First Amendment) Rules, 2016 are given as follows :-

Name of post	Scale of pay		
	Name of Pay Band	Corresponding Pay Band (Rs.)	Corresponding Grade Pay (Rs.)
(1) **B.C.G. Technician**	**Pay Band-1**	**5200-20200**	**2400/-**
(2) **B.C.G. Team Leader**	**Pay Band- 2**	**9300-34800**	**4200/-**

Omission of rule 23 **11.** In the said rules, the existing rule 23 shall be omitted.

By order,

(Arun Kumar Sinha)
Additional Chief Secretary.